

02

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुकम

२५
2018

पत्रात / क्लेश
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

13/4/18

आदिपस्ता अपीलार्थी उपाधीत ।
 कार्यालय डिपोर होकर
 पत्रावली डाक प्रकृत डर । पत्रावली डर
 राबिस्टर की जावे । आदिपस्ता अपीलार्थी की
 बहस प्रार्थना पत्र इधगन पर सुनी गर ।
 आदिपस्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन
 किया एवं पत्रावली का इवलोकन किया ।
 प्रकरण अन्तरिम इस्थानि निषेधाया से
 सम्बन्धित है किन्तु आदिपस्ता न्यायालय
 द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का इवसर
 दिये बगैर ही आदेश जैर अपील दिनांक
 03/4/18 के माध्यम से अपीलार्थी को
 उसकी श्वाते की कार्यालय के उपयोग-
 उपयोग हेतु प्रतिबन्धित किया जाकर
 व्यवहार प्राडिना संहिता के आदेश
 39 नियम 3(क) के विपरित आगामी
 तारीख पेशी दिनांक 18/6/2018 निगत
 कर दी गरी, जो न्यायोचित प्रतीत
 नहीं होने से आदेश जैर अपील दिनांक
 03/4/2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण
 आदिपस्ता न्यायालय को इस निर्देश
 के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि
 वे उभयपक्षों को प्रार्थना पत्र इस्थानि
 निषेधाया पर सुनवाई का समुचित
 इवसर प्रदान कर व्यवहार प्राडिना
 संहिता के आदेश 39 नियम 3(क) की
 पालना करते हुए 30 दिवस की
 अवधि में सुनावणुण पर आदेश
 पारित करे । तदुसार अपील कांशिक
 स्वीकार की जाती है । अपीलार्थी को परिचे



राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

50

तारीख हुकम	<p style="font-size: 1.2em;">प्रमाण किताब</p> <p style="font-size: 1.2em;">2018</p> <p style="font-size: 1.2em;">हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
------------	--	---



आधिवक्ता कोटेश डिवा बाला है कि वे इस आधिवक्ता के कोटेश की पारि साहित आधिवक्ता आधिवक्ता के समस्त डिगों को उपाल्फित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

पगावली फैसल सुनार होकर
गाड तबमील जारीत करत हो।
कोटेश सुनामा गमा।

जयपुर